न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 153/2017 दायरा दिनांक : 14.11.2017

उनवान

1– जायदा पत्नी शब्बीर खां, जाति पिंजारा, निवासी चिश्तीपुरा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– शब्बीर खां पिता यासीन, जाति पिंजारा, निवासी चिश्तीपुरा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3– शाकिर पिता शब्बीर खां, जाति पिंजारा, निवासी चिश्तीपुरा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4– नारू पिता शब्बीर खां, जाति पिंजारा, निवासी चिश्तीपुरा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– याकूब पिता ख्याजू मन्सूरी, जाति मुसलमान, निवासी चिश्तीपुरा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी एस भटनागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री औकारेश्वर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.11.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – /प्रार्थना पत्र/2017 निर्णय दिनांक 20.06.2017 अधीनस्थ न्यायालय ने संशोधन करते हुए पुनः निर्णय दिनांक 06.10.2017 को पारित किया जिससे अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यों के विवरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि प्रस्तुत प्रकरण तहसील गंगधार के अधिकार क्षेत्र धारा 251 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत

महेन्द्र लोढ़ा
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं अपील प्राधिकारी

सुनवायी किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय धारा 251 ए के तहत दिया है जो विद आऊट जूरिसडिक्शन है । चूंकि प्रार्थना पत्र में विवादित रास्ता कदीमी बताया गया है जिनका उपयोग व उपभोग प्रार्थी रेस्पोडेंट नम्बर 1 शांतिपूर्वक ऐलानिया निरन्तर बिना किसी व्यवधान के करता चला आ रहा है । अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर तहसीलदार गंगधार से विवादित रास्ते की वास्तविक रिपोर्ट मंगवाने को कहा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा मनमाने ढ़ंग से विवादित रास्ते को नया रास्ता मान लिया जबकि रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद था । इसकी रिपोर्ट तहसीलदार गंगधार से अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं मंगवायी तथा अपना निर्णय प्रदान कर दिया अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2017 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की दिनांक 20.06.2017 को पारित किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने संशोधन करते हुए निर्णय पुनः दिनांक 06.10.2017 को पारित किया है । इस कारण दिनांक 20.06.2017 से 6.10.2017 तक की अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील अवधि मध्य पेश की जा रही हैं । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि धारा 251 ए में उपखण्ड अधिकारी को तभी पावर है जब कोई रास्ते का विकल्प नहीं हो । ग्राम पंचायत ने भी निर्णय किया । उपखण्ड अधिकारी के आदेश में हवाला है तो ग्राम पंचायत के आदेश की अपील आलरेडी चल रही है । रास्ते का खुलासा करना था तो तहसील में जाना चाहिए । अतः अपील स्वीकार की जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि धारा 251 ए का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2017 को उपखण्ड अधिकारी गंगधार ने रास्ता देने का आदेश दिया है । पटवारी हल्का तलावली की रिपोर्ट खसरा नम्बर 1222 रेस्पोडेंट का खेत है खसरा नम्बर 423 में से निकल कर खसरा नम्बर 1222 में आते हैं । रास्ता सही दिया गया है । इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था । दिनांक 28.06.98 में ग्राम पंचायत तलावली में केस चला था रास्ते को बाधित नहीं करेंगे । प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में लिखा है कि पंचायत के फैसले

की अपील भी नहीं की । दिनांक 30.11.2017 को 36860/– पैसे भी जमा करा दिये । उपखण्ड अधिकारी गंगधार का फैसला सही है । रास्ता बहाल कर दिया गया है जिसका अंकन जमाबंदी में भी हो गया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में ग्राम पंचायत तलावती द्वारा दिनांक 28.06.1988 के निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट को अपीलांट की भूमि से ही रास्ता दिये जाने का उल्लेख है तथा भविष्य में रास्ता बन्द नहीं करने हेतु पाबन्द भी किया गया । प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 केम्प तलावली में समस्त पक्षों को सुनकर किया गया है । अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा